न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 24/2021 (2021/47)

प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता :-

मोहनसिंह पुत्र स्व0 अमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. ग्राम पंचायत झंवर जरिये सरपंच/ग्राम सचिव।
2. नेनसिंह पुत्र जोरसिंह
3. कल्याणसिंह पुत्र स्व0 मंगलसिंह
4. भींवसिंह पुत्र स्व0 कानसिंह
5. गजेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 कानसिंह
6. पेपसिंह पुत्र स्व0 कानसिंह
7. नारायणसिंह पुत्र कानसिंह
8. लक्ष्मणसिंह पुत्र कानसिंह

सभी जातियान राजपूत, निवासी जोगियासीन, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 50 मिसल संख्या 14/1960-61 दिनांक 21.05.1961 जो ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी किया गये।

उपस्थिति :

1. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति व गजेन्द्रसिंह राठौड़ (प्राथीपक्ष)।
2. अधिवक्ता श्री सुरेश जोशी (अप्रार्थी संख्या 02 ता 08 तक)।

आदेश दिनांक :-23.05.2022

प्रार्थीगण ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 पट्टा संख्या 50 मिसल संख्या 14/1960-61 दिनांक 21.05.1961 जो ग्राम पंचायत झंवर द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का एक कब्जा सुदा पुश्तैनी पैतृक भूखण्ड/जायदाद जो ग्राम झंवर की आबादी भूमि में आया हुआ है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:30 IST
Reason: SelfAttested

जिस पर प्रार्थी का पूर्वजों के समय से ही निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी का घरेलू सामान, पत्थर की पट्टीया, निर्माण सामाग्री, पशुधन एवं चारा इत्यादि रखा हुआ है तथा चारों तरफ तारबन्दी की हुई है। उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा भूखण्ड के चारों तरफ पत्थर की पट्टीया रोपी जाकर तारबंदी की गई है। अप्रार्थीगण गांव झंवर के निवासी न होकर झंवर गांव से करीबन 20 किमी. दूर जोगीयासनी गांव के स्थाई निवासी है जो ग्राम पंचायत लूणावास खारा में स्थित है। इन्होनें झंवर गांव में आने जाने के कारण प्रार्थी के उपरोक्त जायदाद को हडपने की नियत से इस जायदाद को अपनी बता कर विवाद करना प्रारम्भ कर दिया तथा धमकिया देना शुरू कर दिया कि वो इस जायदाद पर कब्जा कर देगें तथा प्रार्थी को बेदखल कर देगें। दिनांक 28.04.2021 को धमकी दी कि वो प्रार्थी से जायदाद हड़प लेगें। अप्रार्थी उक्त जायदाद का पट्टा अपने नाम का होना बता रहे है जबकि ऐसा कोई पट्टा अप्रार्थी को जारी ही नहीं किया जा सकता और न ही जारी किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह पंचायत निगरानी पेश की है।

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा ग्राम पंचायत झंवर से मूल अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश जोशी ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत झंवर पंचायत समिति धवा ने अपने पत्र क्रमांक 161 दिनांक 10.08.2021 में बतलाया कि वर्ष 1960–61 का संबंधित चाहा गया रिकॉर्ड कार्यालय ग्राम पंचायत झंवर में उपलब्ध नहीं है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि निगरानाधीन पट्टा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध एवं नियमों की पालना किए बगैर गलत रूप से जारी किया गया है तथा जिस भूखण्ड एंव जायदाद का पट्टा जारी किया गया है वो ग्राम झंवर की आबादी भूमि में आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का पूवर्जो के समय से ही निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा है जिसमें प्रार्थी का घरेलू सामान पत्थर, ईंधन सामग्री इत्यादि निर्माण सामग्री रखी हुई है तथा प्रार्थी उसमें पशुधन व चारा इत्यादी रखता है तथा प्रार्थी द्वारा भूखण्ड के चारों तरफ पत्थर की पट्टीया रोपी जाकर तारबंदी की गई है परन्तु गांव झंवर का समय के साथ वि[illegible] से जमीनों के भावों में वृद्धि हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:30 IST
Reason: SelfAttested

जाने से अप्रार्थीगण के मन में लालच आ गया तथा अप्रार्थीगण गांव झंवर के निवासी न होकर से झंवर गांव से करीबन 20 किमी. दूर जोगीयासनी गांव के स्थाई निवासी है जो ग्राम पंचायत लूणावास खारा में स्थित है। अप्रार्थीगण ने जोर जबरदस्ती प्रार्थी के भूखण्ड पर कब्जा करने की कोशिश की एवं दिनांक 28.04.2021 को धमकी दी की वो कब्जा कर देंगे क्योंकि उनके पास पट्टा है जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है तब प्रार्थी को जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण ने गलत तौर पर पट्टा जारी करवा रखा है जो गलत एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे बतलाया कि निगरानाधीन पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। जिस भूखण्ड का निगरानाधीन पट्टा जारी होना बताया है उस भूखण्ड पर प्रार्थी का अपने पिता एवं दादा के समय से ही कब्जा है जिसका उपयोग प्रार्थी द्वारा ही किया जा रहा है तथा मौके पर आज दिन तक खाली भूखण्ड के रूप में है जिसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है और न ही कोई ठांव बने हुए है ऐसी स्थिति में किसी भी रूप में ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है जबकि अप्रार्थीगण ने तत्कालीन ग्राम पंचायत से सांठ गांठ कर पट्टा जारी करना बता दिया जो कि पूर्णत गलत तथा शून्य है। अप्रार्थीगण का कब्जा कभी भी नहीं रहा क्योंकि अप्रार्थीगण ग्राम झंवर के निवासी नहीं है तथा माह अप्रैल 2021 में अप्रार्थीगण ने कब्जा करने की धमकी दी कि वो जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे क्योंकि अप्रार्थीगण के नाम से पट्टा जारी है तब प्रार्थी को पट्टे की जानकारी हुई इस कारण अविलम्ब निगरानी पेश की। प्रार्थी उक्त भूखण्ड का उपयोग अपने पशु धन व चारा रखने में करता है। ग्राम पंचायत झंवर में भी पट्टे का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है इससे भी यह स्पष्ट हो जाता कि ऐसा कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी ही नही किया गया है परन्तु अप्रार्थीगण फर्जी व कूटरचित पट्टा बताकर प्रार्थी के भूखण्ड पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है ऐसी स्थिति में निगरानाधीन पट्टा निरस्त किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी निरन्तर बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत के पास निगरानीधीन पट्टे का किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत झंवर पचांयत समिति लूणी से उक्त पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड मांगने पर ग्राम पंचायत ने बतलाया कि मंगलसिंह, [illegible] सिंह के नाम से जारी पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:30 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 50 दिनांक 21.05.1961 व मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर 1960–61 का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत झंवर में उपलब्ध नहीं है। बहस के समर्थन में 2016(4)क्छश्र(ट।श्रण) 1799 पर दिये गये न्याय निर्णय की ओर ध्यान दिलाते हुए निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन पट्टे को निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थी ने भूखण्ड के फोटोग्राफ्स, अप्रार्थी मंगलसिंह वगैरा गांव जोगियासनी पटवार खुडाला की संवत् 2011 से 2057 तक की प्रमाणित जमाबन्दियां, अप्रार्थी नैनसिंह पुत्र जोरसिंह, कल्याणसिंह पुत्र मंगलसिंह, नारायणसिंह पुत्र कानसिंह, गजेसिंह पुत्र कानसिंह व भीमसिंह पुत्र कानसिंह के राशनकार्ड की प्रति, अप्रार्थीगण के ग्राम जोगियासनी ग्राम पंचायत लूणावास खारा की मतदाता निर्वाचक नामावली की प्रतिलिपि व ग्राम जोगियासनी के संबंध में ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार बाबत् दस्तावेज पेश कर बतलाया कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि गांव जोगियासनी में स्थित है जो जमाबन्दी से स्पष्ट होता है। अप्रार्थीगण के राशन कार्ड में उनका पता जोगियासनी लूणी जोधपुर लिखा है, इससे स्पष्ट है कि वह शुरू से ही ग्राम जोगियासनी के निवासी है और वर्तमान में भी जोगियासनी में ही रह रहे है। अतः अपीलाधीन पट्टे की भूमि पर अप्रार्थीगण का कभी भी निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर कब्जा नहीं रहा और न ही वे उक्त भूमि पर कभी निवास करते थे।

अप्रार्थी संख्या 2 से 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश जोशी ने लिखित जवाब/बहस दिनांक 14.02.2022 को पेश कर बतलाया कि निगरानाधीन पट्टा पूर्ण रूप से सही तरीके से जारी किया हुआ है तथा ग्राम पंचायत झंवर द्वारा निगरानीधीन पट्टा विधिवत् जारी किया गया है तथा उक्त पट्टासुदा जायदाद पर अप्रार्थीगण का निर्बाध व शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है तथा लम्बे अंतराल बाद कपोल कल्पित आधारों पर निगरानी पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। यदि पट्टा फर्जी है तो फौजदारी कार्यवाही की जानी चाहिए जो प्रार्थी द्वारा नहीं की गई, ऐसी स्थिति में पट्टा सही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से निगरानी पेश की है। अप्रार्थी का अपने पूर्वज जोरसिंह के समय से ही कब्जा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने वंशावली, मंगलसिंह, कानसिंह व नेनसिंह के पट्टे की प्रति, हमीरसिंह के पट्टे की प्रति व [illegible] के पट्टे की प्रतियां पेश कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:30 IST
Reason: SelfAttested

बतलाया कि निगरानीधीन पट्टे में वर्णित पड़ोस के अनुसार पश्चिम में शेराराम व दक्षिण में हमीरसिंह दर्शाया गया है जो हमीरसिंह व शेराराम के पट्टा विलेखों से साबित होता है कि उक्त पट्टा ग्राम पंचायत झंवर द्वारा विधि अनुसार जारी किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस कर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने जिस पट्टा विलेख की निगरानी पेश की है उसका रिकार्ड ग्राम पंचायत झंवर से तलब किया गया। ग्राम पंचायत झंवर ने अपने पत्र क्रमांक 161 दिनांक 10.08.2021 के द्वारा बतलाया कि उक्त पट्टे बाबत कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत झंवर के कार्यालय में नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय 2016(4)DNJ(RAJ.) 1799 में अभिनिर्धारित किया गया है कि ''राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के तहत नियम 157 के तहत जारी पट्टे का संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण जिला कलक्टर द्वारा पट्टा निरस्त किया गया। नियम 157 (2) के उल्लघंन में पट्टा जारी किया गया। मौके पर निर्माण, झोपड़ी या कच्चा मकान होने के साक्ष्य नहीं होने से कलक्टर द्वारा पट्टे को सही निरस्त किया गया।'' अतः प्रथम दृष्टया मौके पर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है जिससे स्पष्ट है कि निगरानाधीन पट्टा विधि विरूद्ध है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के तहत आज्ञापक प्रावधानों की पालना आवश्यक है परन्तु निगरानाधीन पट्टे बाबत् ऐसे किसी नियमों की पालना न होना दर्शित होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ग्राम पंचायत झंवर के निवासी ना होकर ग्राम जोगीयासनी ग्राम पंचायत लूणावास खारा के निवासी है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत झंवर से पट्टा कैसे प्राप्त कर सकते है उक्त प्रश्न भी विचारणीय बनता है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में खाली भूखण्ड का पट्टा नियम 157 के तहत जारी करने पर भी प्रश्न उठाया है तथा वर्तमान समय में भी पट्टे में वर्णित भू–भाग खाली भूखण्ड है जिस बाबत् मौके के फोटोग्राफ प्रार्थी द्वारा पेश किये गए जिसका खंडन अप्रार्थीपक्ष द्वारा नहीं किया गया जबकि नियम 157 के तहत केवल रहवासीय मकानों का ही पात्रता रखने वाले व्यक्ति को 25 वर्षों से अधिक समय से कब्जे का साक्ष्य होने पर पट्टा जारी किया जाता है इस पर भी अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा किस नियमों के तहत जारी किया गया है बाबत् स्पष्टीकरण प्रकट नहीं किया गया। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक का मु[illegible] रहा कि निगरानी में कालबाधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:30 IST
Reason: SelfAttested

पट्टे को चुनौती दी गई है तथा प्रार्थी को निगरानी पेश करने का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं है। चूंकि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 61 के तहत पंचायत के किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिवस के भीतर पंचायत समिति के समक्ष अपील पेश करने का प्रावधान है, परन्तु आलौच्य पट्टा 1961 में जारी किये जाने से अपील मियाद समाप्त हो चुकी है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह भी स्पष्ट किया गया कि "राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियें की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश कर सकेगी।" अन्यथा संस्थाओं द्वारा पारित गलत आदेश एवं अवैध कृत्यों को बढ़ावा मिलेगा जो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए घातक है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानाधीन पट्टा संख्या 50 मिसल संख्या 14/1960-61 दिनांक 21.05.1961 ग्राम पंचायत झंवर निरस्त योग्य है, जो निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:20:30 IST
Reason: SelfAttested